पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 126/2023

अनवान :

सींघाराम पुत्र भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. भुरी पुत्री भगवाना जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा।
2. गोरा पुत्री माईधन जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा।
3. जैता पुत्री माईधन जाति मेघवाल निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीबड़ी के खाता सं0 73/70 के खसरा सं0 375 की 4.553है0, खसरा सं0 76 की 2.681है0, खसरा सं0 99 की 0. 405 है0, कुल खसरा 3 की कुल 7.639है0 बारानी में गोरा व जैता प्रत्येक के 1/40– 1/40 हिस्सा व वादी सींघाराम के नाम 4/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। खातेदारी दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 2 गोरा व प्रतिवादी सं0 3 जैता का नाम कलमजन कर वादी सींघाराम को 17/20 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.01.2024. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner